

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रैंज,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर,
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3

दिनांक: 09 जुलाई, 2020

विषय: कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध।
महोदय,

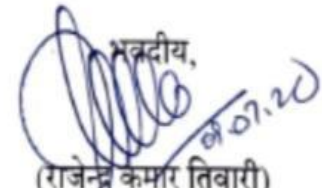
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरान्त इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05.00 बजे तक निम्न प्रतिबन्धों को लागू किया जाता है।

1. इस अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे।
2. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
3. रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
4. उपरोक्त बिन्दु संख्या-03 में उल्लिखित बसों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय (International) एवं घरेलू (Domestic) हवाई सेवायें यथावत जारी रहेंगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
5. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यामार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
6. शासनादेश संख्या- 1701/33-3-2020-114/2012 के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता (Sanitization) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

7. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
 8. इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू (Continuous Units) रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
 9. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।
 10. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
 11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एंट्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।
 12. प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

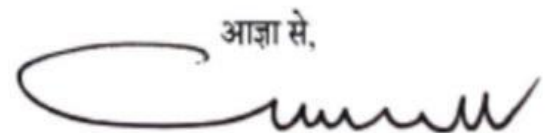
संलग्नक:- यथोक्त।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)